



लेटर
क्र.

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

प्रक. /2017 निगरानी III/ अशोकनगर भू.रा/2017/3937

S.P. Dhaba Adm.
द्वारा आज दि. 16.10.17 को
प्रस्तुत
कलर्क ऑफ कोट 18.10.17
राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

18.10.17

नोटर
16.10.17

Shanu
माननीय न्यायालय
16.10.17

लालसाहब मृत वारिसान

- 1. बहादुर सिंह
 - 2. प्रकाश सिंह
 - 3. मलखान सिंह
 - 4. मुन्नीवाई
 - 5. उर्मिलावाई
- } पुत्रगण स्व. लालसाहब
निवासीगण ग्राम बांसखेड़ी तह. व जिला
अशोकनगर म.प्र.

.....आवेदकगण

बनाम

- 1. बृन्दावन सिंह पुत्र धासीराम यादव
 - 2. भैयालाल पुत्र दलपत सिंह यादव
- निवासीगण ग्राम बांसखेड़ी तहसील व
जिला अशोकनगर म.प्र.

.....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर के प्रक.

132/बी-121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017


के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क. 281/2 रकवा 2.00 हैं. पर अनावेदक क. 2 का कब्जा



न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भूरा/2017/3937

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 132/बी-121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29/09/17 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:—</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन—</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p><u>अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर</u></p> 	